तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/22

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2022 बउनवान जिमनादेवी बनाम हराराम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 का पेश कर मौजा खेड़ा रामगढ तहसील जैतारण में अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1448, 1522, 1522/1, 1523, 1524 कुल रकबा 19.4086 हैक्टर के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की ईस्तदुआं की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी भी किसी तरह से मौके पर काश्त नहीं रहा, न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का कब्जा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट रेकॉर्डेड खातेदार है। उसे अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय तरीके से विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो कि विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.03.2022 को स्थगन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का विवादित आराजी में कानूनन हक व अधिकार निहित है जिसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति रखे जाने का आदेश फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2022 के द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 को वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है। न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण के द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर आदेश दिनांक 09.03.2022 पारित करते हुऐ स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार आलोच्य आदेश अंतरिम आदेश है और मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में लम्बित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय वाद के अन्तर्गत बाद साक्ष्य होगा परन्तु न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(अ) के तहत बनाये गये प्रावधानों की अवहैलना की गई है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए था जो आज दिवस तक नहीं हुआ है। रेंस्पोडेण्ट के द्वारा मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न्यायालय के द्वारा भी आदेश 39 नियम 3 (क) जा.दी. के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर जैतारण से यह अपेक्षित था कि दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में करते। उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर सिर्फ आगामी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिसे न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त मत को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैन्च ने 2014 डी एन जे पेज 67 में व्यक्त किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Trial Court shall be under obligation to dispose of the application of temporary injunction on merits within 30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of order 39 of the Code.

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 09.03.2022 को विधि के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांत – ''जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थतता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।'' की पालना नहीं करना कतई उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली